




प्राथमिक उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 23/2021

तारीखरजु:- 23.2.2021

उनवान:- रामवीर बनाम बनी वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212


नॉक	फर्द अहकाम
23-2-21	<p>प्रार्थी की ओर से श्री राजबहादुर मीना एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनकर अप्रार्थीगण का सर्वप्रथम जवाब प्रस्तुत कराया जाना उचित पाता हूँ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 01.03.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> <p style="text-align: right; font-size: small;"> 302-8 24-2-21 </p>
1321	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा ADV. ने वकालतनामा पेश किया। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर बहस हुनी गई बहस पर मानन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश नहीं किया है। जवाब पेश होने तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम निसुरा की भूमि ख. नं. 2315/0.40, 2320/0.26 पर मोठे की पचासपौते बनाये रखे। जवाब पेश करने दिनांक 18.3.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p> <p>18.3.21 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उपर जवाब पेश करने हेतु समय चला गया है अतः समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 15.4.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>



मालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान उग्र
 अप्राप्ति वकील को जबाब पेश करने की दिशा पत डी
 गई। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 22.9.23 को
 पेश हो।



2/23

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य रयगस
 रख गया है। पीठासीन अधिकारी...
 है। गतानुसार दिनांक 25/10/23 को पेश हो।



25/23

हादी वकील/वकील उग्र पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी...
 पत्रावली गतानुसार दिनांक 26/12/23
 को पेश हो।



26/23

हादी वकील/वकील उग्र पक्ष उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी...
 पत्रावली गतानुसार दिनांक 30.12.24
 को पेश हो।



9/24

पत्रावली पेश हुई। उग्रपक्षकारान अनुपस्थित
 उग्रपक्षकारान को बार-बार जावाज दिलाये जाने
 के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रूढ़े से प्राप्ति का
 प्राप्तिपत्र डिस्पार्ड निवेद्या का डिमन हाजरी डिमन पेश
 खातीज किया जाता है।

पत्रावली फ्रेशल सुनार वास्ते से कम होकर
 वास्तेल दफ्तर हो।



रसम
 के लिए
 2023

उप
 र
 र